

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 6(1)चिस्वा/2/2023/ई-08856

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन स्वा)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

**विषय:-** डॉ. साधना कुमावत, चिकित्सा अधिकारी, को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर पुनः कार्यग्रहण कराने एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. साधना कुमावत, चिकित्सा अधिकारी के दिनांक 26.07.2022 से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के पश्चात् इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बायलु, बाडमेर में पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि अनुपस्थिति अवधि के लिए इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीया,

(निमिषा गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
3. डॉ. साधना कुमावत, चि.अ. जरिये निदेशक (जन. स्वा.)
4. निजी/रक्षितपत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimisha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.08.25 16:40:12 IST  
Reason: Approved

